

* एक संतुलित तथा संदर्भयुक्त इसीसीई पाठ्यपत्रों को समझें

ये बच्चों के जीवन के प्रथम दश वर्ष मानव जीवन के विकास के मुख्य स्तर हैं जिसमें जीवन के विकास का सर्वाधिक तेजी से उभार होता है। इन वर्षों में मानव मस्तिष्क का तेजी से विकास होता है। एटल ने बच्चों के विकास में काफी सराहनीय योगदान दिया है। बच्चों का समग्र एवं सर्वांगीण विकास हो सके। एटल के अन्तर्गत पाठ्यपत्रों में बच्चों के समग्र विकास हेतु निम्न तथ्यों पर जोर दिया है।

(1) शारीरिक तथा गामक विकास → गामक कौशल, मांसपेशियों का समन्वय, आँख एवं हाथ का समन्वय, संतुलन का ज्ञान, शारीरिक समन्वय, स्पर्श एवं दृष्टि की जागरूकता, पोषण, स्वास्थ्य सिग्नल

(2) भाषा विकास → सुनना, बोलना एवं वाचनलाप का कौशल, शब्द भण्डार, अक्षरों एवं शब्दों के उच्चारण, अक्षरों की पहचान, शब्दों एवं वाक्यों का निर्माण प्रारम्भिक लेखन, विद्यालय में भाषा का परिचय।

(3) संज्ञानात्मक अधवा मानसिक विकास → कई संकल्पनाओं का विकास तथा प्री-संख्या तथा संख्या, गिनती, सामाजिक सम्बन्ध, समूह वाचनलाप इत्यादि।

(4) सामाजिक - वैयक्तिक तथा संवेगात्मक विकास → स्वयं से संबंधित संकल्पना का विकास, आदतों का निर्माण, उत्सुकता, सहयोग, सामाजिक सम्बन्ध, प्रो-सोशल behaviour अपने अनुभवों को शेयर करना

(5) ज्ञानद्वियों विकास → पाँचों ज्ञानेन्द्रियों का विकास

(6) सृजनात्मकता तथा सौन्दर्य का बोध → विभिन्न कलाओं का स्वयं, नृत्य, नाटक तथा संगीत गतिविधियों का ज्ञान

(7) एटल एक संतुलित कार्यक्रम है जिसमें भाषागत, संवेगात्मक, सृजन एवं गामक आधारित गतिविधियों पर जोर दिया जाता है। यह सिर्फ यह बाल के लिए कार्यक्रम है जो प्रत्येक बच्चे के

अधिगम स्पर्धे सांवेगिक जरूरी को पूरा करती है। इसके लिए विभिन्न तरह की रीचक एवं आनन्दपूर्ण गतिविधियाँ आयोजित करती है। यह सिर्फ आप-चारिक केन्द्रिकृत शिक्षा के उन्मुख कार्यक्रम या संप्रेष नहीं है। यह कार्यक्रम बच्चों लिखने, पढ़ने, सूखे गणितीय गणनाओं के लिए तैयार करती है। ECE कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करती है। यह बच्चों के पर्याप्त हवमाल, पोषण पर जोर देती है।

* ECE पाठ्यचर्या के लक्ष्य एवं दीर्घकालिक उद्देश्य तथा मियोजनः=

→ ECE पाठ्यचर्या के लक्ष्य उद्देश्य -

(1) स्वस्थ आदतें डालना - बच्चे में अच्छी आदतें डालना और व्यक्तिगत अनुकूलन के लिए जरूरी बुनियादी योग्यता पैदा करना।

(2) वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास - वांछनीय सामाजिक अभिवृत्तियों और शिक्षाचार विकसित करना तथा स्वस्थ सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

(3) अनुभूतियों और संवेगों के विकास के लिए मार्ग दर्शन - बच्चे को अपनी अनुभूतियों और संवेगों को अभिव्यक्त करने, समझने, मानने और नियंत्रित करने में मार्ग दर्शन देकर संवेगों के मामले में समता को विकसित करना।

(4) सौन्दर्य - बोध → सौन्दर्य बोध को बढ़ाना।

(5) आपस की दुनिया समझने में मदद करना - परिवेश के बारे में वैज्ञानिक जिज्ञासा की शुरुआत को प्रेरित करना।

(6) आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन → बच्चे को आत्म अभिव्यक्ति के काफी अवसर देकर स्वतंत्रता और स्वयंनशीलता के लिए प्रोत्साहित है।

दीर्घकालिक उद्देश्य :-

- (1) बच्चों के समग्र विकास का उन्मयन करना।
- (2) बच्चों को औपचारिक स्कूल के लिए तैयार करना।
- (3) प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए योगदान देना।
- (4) प्राथमिक शिक्षा के अवरोधों को कम करना।
- (5) विभिन्न विकल्पों के साथ pre schooling पर जोर देना।
- (6) विभिन्न विकल्पों के साथ ECCE के विभिन्न Degree पर देना जिससे ज्यादा-से-ज्यादा लोग लाभान्वित हो सकें।

(7) संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत भाग के विभिन्न राज्यों में ECCE के लिए व्यापक प्रयास करने के लिए जोर देना।

(8) सर्वशिक्षा अभियान के तहत चतुर्थ एवं 73860 एलए केन्द्रों का उन्मयन करना।

(9) छह वर्ष तक के बच्चों के पूरक कोण पोषण की व्यवस्था।

(10) समय-समय पर बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण।

(11) इन बच्चों के टीकाकरण की सुविधा।

(12) Pre School and Primary School को जोड़ने का काम।

(13) विभिन्न तरह के शैक्षिक गतिविधियों के कार्यान्वयन पर जोर देना कवनी कहना एवं सुनना कविता पठना, गाना गाना, रंग एवं आकारों का बोध, समूह बुद्धि नाम, अच्छी आदतों का निर्माण।

* गतिविधियों के आयोजन के लिए विभिन्न विधि-
प्रक्रियाओं का चयन :-

→ राष्ट्रीय नीति 1986 में यह स्पष्ट रूप से कहा
गया है कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए ऐसा
कार्यक्रम बनाना चाहिए जो उनकी मूलभूत आवश्यक-
तों के अनुसार हो एवं जिससे उनसे सर्वांगीण विकास
हो सके। अध्यापक को कोई भी गतिविधियाँ कराने
से पहले इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(1) पूर्व प्राथमिक स्कूल कार्यक्रम बनाने समय इस
बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह
कार्यक्रम बालकों की उम्र, मानसिक स्तर एवं आवश्यक-
तों के अनुरूप हो।

(2) बालकों को ऐसी क्रियाएँ अवश्य करानी पड़-
ना चाहिए जिनमें वह अपने छोटे-छोटे कार्य स्वयं
करने के लिए अभ्यस्त हों।

(3) खेल क्रियाएँ अर्धपूर्ण होने चाहिए। कार्यक्रम
का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान
रखना चाहिए कि जो भी खेल क्रियाएँ आयोजित
की जायें, वह अर्धपूर्ण हों।

(4) विषयों में सहसम्बन्ध होना चाहिए अर्थात् जिन
विषयों का चयन कार्यक्रम नियोजन के अन्तर्गत
पढ़ाये जाने के लिए किया गया हो उनमें
आपस से सहसम्बन्ध हो।

(5) योजना दैनिक जीवन के व्यवहारिक जीवन पर
आधारित होना चाहिए। अधिगम अनुभव हेतु
विषयवस्तु का चयन बालकों की दैनिक जीवन की
आवश्यकता पर आधारित हो।

(6) अधिगम यदि रुचिकर हो तभी वह
प्रभावकारी हो सकता है।

(7) बालकों में अधुविश्वास न पनपे अपितु सत-
त के प्रति निष्ठा एवं कार्य के प्रति वैज्ञानिक
दृष्टिकोण का विकास हो।

(8) कार्यक्रम नियोजन में लचीलापन होना चाहिए।
हमारी सामाजिक व्यवस्था व आसपास के वातावरण
में आए परिवर्तनों को हम कार्यक्रम में भी
परिवर्तन ला सकते हैं।

कार्यक्रम नियोजन करते समय यदि हम उपरोक्त नियमों का पालन करें तो वह कार्यक्रम बालकों के सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। साथ-साथ कुछ नियमों का पालन आवश्यक है जिससे वह किया गया अध्यापक के उद्देश्य एवं वास्तविक सर्वांगीण विकास में प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके। शान्त एवं चंचल दोनों प्रकार के बच्चों को उचित समय व स्थान पर कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए जिससे बालक जब चंचल बच्चों के साथ बैठ जाये तो शान्ति बच्चों में आराम से ज्ञान प्राप्त कर सके। इसलिए शैक्षिक परिभ्रमण को कार्यक्रम नियोजन में उचित स्थान दिया जाना चाहिए। इससे बालकों में सामाजिक मूल्यों का भी विकास होता है।

* कक्षा में विकासोन्मुख, बाल उन्मुख तथा समावेशी वातावरण निर्माण

→ कक्षा को विकासोन्मुख, बाल उन्मुख तथा समावेशी वातावरण निर्माण करने के कुछ मुख्य प्रबंधन हैं।

(1) विशेष कक्षाएँ → ऐसी कक्षाओं तथा विषयों में जहाँ बालकों को ध्यान से अधिक होती है उन्हें उन्हें सामान्य बालकों के साथ पढ़ाना लगभग नहीं हो सकता है। बल्कि निरन्तर असफलता से ये बालक मनोवैज्ञानिक हानि के शिकार हो जाते हैं। इससे पहले की कक्षा में लगातार फेल हो उनके लिए कुछ कक्षा की व्यवस्था सामान्य विद्यार्थियों में कर दी जानी चाहिए।

(2) विशेष विद्यालय → ऐसे पिछड़े बालकों को स्कूल में रखा जाता है जो विशिष्ट बालक के रूप में माने जाते हैं। इन सबों के लिए एक विशेष विद्यालयों की व्यवस्था करना ही न्यायोचित रहता है, क्योंकि उनकी अक्षमता इस स्तर की होती है कि वे सामान्य रूप से प्रयोग में आने वाली शिक्षण सामग्री द्वारा शिक्षित नहीं की जा सकते हैं। मानसिक न्यूनता व शारीरिक विकलांगता वाले बालकों

के लिए पुष्प - पुष्प विद्यालय होते हैं। विशिष्ट पाठ-
वाले बालकों को जिन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता
है। ऐसे बालकों को व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया
जाता है। जिससे वे समाज का बोझ न बने।

(3) विशिष्ट पाठ्यक्रम - सामान्य रूप से पाठ्यक्रम का
निर्माण औसत क्षमता वाले बालकों की आवश्यकताओं
की दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। पिछड़े
बालकों के पाठ्यक्रम को कुशलतापूर्वक करने में असफल
रहते हैं। अतः उनके लिए सरल एवं छोटे
पाठ्यक्रमों का, जो उनकी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता-
क्षमताओं व रुचियों के अनुरूप हैं, निर्धारण
करना उपयोगी रहता है।

(4) शिक्षण विधियाँ - इन शिक्षण के विधियों में
पर्याप्त परिमार्जन की आवश्यकता होती है। इन्हें
सूक्ष्म सामग्री और प्रत्यक्ष अनुभवों की सहायता
लेकर तथा विषय-वस्तु की छोटी-छोटी इकाइयों
में बाँटकर सरल तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए।
सांवेगिक अच्छा अनुभव करणों से पिछड़े बाल-
कों के लिए अभिनय, प्रोजेक्ट विधि
जैसी विधि आदि नवीन शिक्षण विधियों का
प्रयोग इस उपचारात्मक शिक्षण में विशेष महत्व
रखता है।

(5) विशेष अध्यापक -

(क) पाठ्यान्तर, डियॉरे, विविध अनुभव तथा क्रीड़ा
पाठ्यक्रम

(ख) समय सारणी

(ग) परीक्षा, जर्नाल